★ संदेश ★

"आ नो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः"

Let the nobel thought comes to us from all the sides :- 'Rigveda'

शिक्षा मौलिक रूप से समस्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी एवं अमूल्य सम्पत्ति है। शिक्षा का अर्थ विभिन्न तथ्यों के सम्बध में समुचित जानकारी प्राप्त करना तथा अनेक अनसुलझे विषयों के बारे में नवीनतम शोध के माध्यम से वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करने से है। शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण प्राथमिक संसाधनों में से एक है जो हमे जीवन के संघर्षों से सामना करने के लिए तैयार करती है। शिक्षा चरित्र निर्माण, अनुशासनशीलता, जिज्ञासा एवं आजीविका की प्राप्ति में सहायक है। शिक्षा ही वह साधन है जिससे व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थापित होता है।

शिक्षा एक देश की आर्थिकी, स्वस्फूर्त सामाजिक संगठन एवं जीवन्त संस्कृति के विकास का महत्वपूर्ण स्तम्भ है। शिक्षा समाज को ज्ञान एवं कौशल प्रदान करती है जिसके द्वारा राष्ट्र के युवा वर्ग के चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण होता है। शिक्षा मानव की क्षमता के अवसरों में वृद्धि करती है जिसके द्वारा एक राष्ट्र के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में यथोचित सुधार स्थापित करना सम्भव होता है। शिक्षा के ही द्वारा दरिद्रता एवं रूढ़िवादिता को समाज से समाप्त कर सामाजिक समरसता एवं सबल प्रजातान्त्रिक संरचना की स्थापना सम्भव है।

शिक्षा व्यक्तियों को उनके विचार/मत प्रकट करने की शक्ति, उनकी वास्तविक क्षमता तथा उनके द्वारा चुने गये क्षेत्र में बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करने में सहायक है। शिक्षा ही वह कुंजी है जिसके द्वारा मानव सकारात्मक सोच के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर बेहतर कौशल, सभ्य समाज, जीवन्त संस्कृति एवं उत्कृष्ट जीवन शैली प्राप्त कर सकता है।

महाविद्यालय शिक्षा के इन्ही मौलिक उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों के सार्वभौमिक विकास, आभ्यान्तर एवं वाहय सकारात्मक वृत्तियों की अभिवृद्धि में प्रयत्नरत है। मात्र कागजी ज्ञान छात्रों को एक जिम्मेदार नागरिक नही बनाया जा सकता। उसे अपने राष्ट्र, समाज और कर्तव्यकर्म के प्रति जागरूक करना भी आधुनिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है।

महाविद्यालय में पठन-पाठन के साथ-साथ छात्रों में रचनात्मक दृष्टिगत विकसित करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं को निरन्तर प्रोत्साहित किया जा रहा है। महाविद्यालय में हजारों पुस्तकों से युक्त आधुनिक पुस्तकालय, समुन्नत प्रयोगशाला, वाह्य एवं आन्तरिक क्रीडा सामग्री, व्यायाम उपकरण, अकादमिक एवं सांस्कृतिक कलेण्डर के अनुसार समय-समय पर बौद्विक विचार गोष्ठियां और व्याख्यान मालाओं का आयोजन वर्ष भर किया जाता है। छात्रों में स्वस्थ तनमन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए अनेक क्रीडा प्रतियोगिताओं, लेखन, योग आदि का संचालन भी किया जाता है। परास्नातक स्तर पर भूगोल एवं राजतीति विज्ञान की कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध है। अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। इसके अतिरिक्त एंटी रैगिंग, धूम्रपान निषेध, महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ, सी0सी0टी0वी0 कैमरा इन्टरनेट वाई-फाई कैरियर के प्रति परामर्शदात्री समिति आदि महाविद्यालय में उपलब्ध है। महाविद्यालय शैक्षिक गतिविधियां तथ्ज्ञा उपलब्धियां प्रशंसनीय है। विगत कई वर्षों से अवरूद्ध प्राध्यापाकों की नियुक्तियां अब पूर्ण हो चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप महाविद्यालय में सभी विषयों की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जा रही है।

हमें समाज के सभी वर्गों से विशेष अपेक्षा है कि वे अपने बालक/बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु महाविद्यालय में प्रविष्ट करायें। लम्बगाँव क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा पिछडे शैक्षणिक विकास को गति देने के लिए सभी अभिभावक अपने पाल्यों को अध्ययन करायें और उत्तराखण्ड की देवभूमि को वैदूष्य से मण्डित कर स्वयं को गौरवान्वित करें। यह महाविद्यालय आपका है, इसका संरक्षण एवं संवर्धन आप-हम सभी का परम दायित्व है। माँ सरस्वती का यह ज्ञानदीप सतत् प्रज्वलित रहे, हम सदैव इसके प्रकाश से अवलोकित रहें औंर माँ भारती की सेवा में तत्पर रहें।

जयतु भारतम्!

जयतु उत्तराखण्डम्!

(प्रोफेसर हितेश कुमार जोशी)
प्राचार्य

फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय लम्बगॉव, (टिहरी गढ़वाल)

-: विवरणिका :-

महाविद्यालय की स्थापना उत्तराखण्ड की राजाज्ञा संख्या- 2771/मा.स.वि. /2001 दिनांक, 10 अगस्त 2001 को हुई। महाविद्यालय को हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल विषयों में स्थायी सम्बद्वता प्राप्त है। सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान एवं संस्कृत विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त है। महाविद्यालय में शिक्षण सत्र 2020-21 से विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर पाँच विषयों वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान एवं गणित की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही शासन द्वारा प्राचार्य-01 पद, अर्थशास्त्र 01पद अंग्रजी-01 पद, हिन्दी-01 पद, इतिहास-01 पद, राजनीति विज्ञान -03 पद, भूगोल-03 पद, समाजशास्त्र-01 पद, संस्कृत-01 पद, सैन्य विज्ञान-01 पद तथा गृह विज्ञान-01 विज्ञान संकाय में वनस्पति विज्ञान-0 पद जन्तु विज्ञान -01 पद, रसायन विज्ञान-01 पद, भौतिक विज्ञान-01 पद गणित-01 पद, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष-01 पद, रसायन विज्ञान-01 पद, भौतिक विज्ञान-01 पद, गणित-01 पद, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष-01 पद प्रवर सहायक-01 पद, प्रयोगशाला सहायक (भूगोल)-02 पद, प्रयोगशाला सहायक-02 (विज्ञान संकाय) पुस्तकालय लिपिक-01 पद, परिचारक-01 पद, प्रयोगशाला परिचारक विज्ञान संकाय-01 पद, अनुसेवक एवं सफाईकमी-05 पद सृजित है। महाविद्यालय उत्तराखण्ड के जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर लम्बगाँव में स्थित है। जो अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र है। महाविद्यालय संवेदना रचनात्मक विचार, सामजस्य तथा ज्ञान की प्रभुता के माध्यम से समाज में मूलभूत परिवर्तन के आदर्श को लेकर प्रतिबद्व दृष्टि रखता है। तथा स्थापना वर्ष से अब अपने आदर्श वाक्य (बहुमुखी विकास की ओर) अग्रसर है। यह महाविद्यालय के लिए हर्ष की विषय है कि सत्र -2012-13 के उत्तरार्द्व में महाविद्यालय को यू0जी0सी0 के 12 बी0 की मान्यता प्राप्त हो गई जो संस्था की प्रगति को नवीन आयाम उपलब्ध करायेगा।

श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से सम्बद्व महाविद्यालय में प्रवेश, पाठ्क्रम, परीक्षा और अनुशासन हेतु विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)द्वारा समय-समय पर निर्गत नियम/आदेश/निर्देश प्रभावी होते है।

महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया एवं नियम:-

1- प्रवेशार्थी आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व निम्नांकित नियम अवश्य पढ़ ले तथा प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक अर्हता पूर्ण करने के पश्चात ही आवेदन पत्र भरें। वे प्रवेशार्थी जिनके पास न्यूनतम अर्हता नहीं है, फिर भी आवेदन करते है, तो उनके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

2- महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र विवरणिका (Prospectus) सहित कार्यालय से निर्धारित शुल्क- 100 रू0 नगद देने पर प्राप्त किया जा सकता है। समस्त प्रविष्टियों की पूर्ति के पश्चात आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक पंजीकरण शुल्क के साथ महाविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3- बी.ए. प्रथम वर्ष हेतु प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।

(अ) अन्तिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0 सी0) एवं मूल चरित्र प्रमाण-पत्र (सी0 सी0)

(ब) विगत समस्त परीक्षाओं के अंक पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियॉ।

(स) हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि (आयु प्रमाण-पत्र हेतु)

(द) पासपोर्ट साईज के चार रंगीन नवीनतम फोटोग्राफ।

(य) अनूसूचित जाति/जनजाति/उत्तराखण्ड के पिछड़ी जाति/विकलांग प्रवेशार्थी को सक्षम अधिकारी (एस0डी0एम0/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/मुख्य चिकित्साधिकारी) द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र व आय प्रमाण-पत्र संलग्न हो।

बी.ए. तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राएँ अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा का अंक पत्र संलग्न करें।

4- प्रवेश के लिए आवश्यक सभी प्रपत्र आवेदन पत्र के साथ ही जमा करने होंगे। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई प्रपत्र आवेदन पत्र में संलग्न नहीं किया जायेगा। जिन छात्र/छात्राओं के प्रमाण-पत्रों में नाम की त्रुटि है उन्हें शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि दोनों नाम उसी के हैं।

5- बी0 ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इण्टरमीडियट या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। किसी भी परिस्थिति में 39.9 प्रतिशत को 40 नहीं माना जायेगा।

6- यदि कोई बाहय छात्र बी0 ए0 द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में प्रवेश लेना चाहता है तो उसके न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत होना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में 39.9 प्रतिशत को 40 नहीं माना जायेगा।

7- आवेदक को अपने प्रवेश प्रपत्र में दी गई खाली जगह में अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज स्वप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ लगाना अनिवार्य है।

8- आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि वे निर्धारित प्रवेश प्रपत्र में अपना प्रवेश आवेदन भरकर अंतिम तिथि से पूर्व जमा करायें। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें।

9- अधूरे प्रवेश आवेदन प्रपत्र/निर्धारित प्रवेश प्रपत्र में नहीं भरे गये आवेदन पत्र/अधूरे कागजात युक्त प्रवेश आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेगें।

10- महाविद्यालय द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विषय हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या प्रस्तावित शैक्षिक सत्र में किसी भी स्थिति में बढ़ाई नहीं जायेगी।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या- 1144/कार्मिक/2/2001/53 (1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सुविधा अनुमन्य होगी। इसके लिए अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर क्रमशः 19%, 4% व 14% आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। असके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी में निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

1- महिलाएँ.....30% 2- भूतपूर्व सैनिक.....05%

3- विकलांग व्यक्ति.....3% 4- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित.....02%

जो छात्र/छात्रा जिस वर्ग का होगा/होगी उसे उसी वर्ग में क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। परन्तु अपरोक्त सभी आरक्षण तभी देय होंगे जबकि प्रवेशार्थी प्रवेश सम्बन्धी न्यूनतम अर्हता रखते हों।

अन्य पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में आरक्षण देने हेतु वही प्रावधान होंगे जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकाशित हैं। वह छात्र/छात्रा अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूची में आता हो तथा साथ ही अधिसूचना सं0 22-16-92 का 2-1995 टी0सी0 दिनॉक 8 दिसम्बर 1995 द्वारा यथा संशोधित के अनुरूप सम्पन्न वर्ग अन्तर्गत क्रीमीलेयर में न आता हो। उत्तराखण्ड शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत जिन जातियों की सूचियों की अधिसूचना प्रकाशित हुयी थी उन जातियों में से उत्तराखण्ड में निवास कर रही "अन्य पिछड़े वर्ग" की जातियों को ही अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

- अभ्यर्थी साक्षात्कार की तिथि की जानकारी सूचना पट्ट से ज्ञात करेंगे। आवेदक को अपने मूल प्रमाण-पत्रों एवं प्रशंसा पत्रों के साथ अपने शैक्षिक रिकार्ड और पहचान के लिए प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। साक्षात्कार में अनुपस्थित अभ्यर्थी का प्रवेश हेतु दावा बाद में किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नही होगा।
- प्रवेश के पूर्व स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र मूल रूप में जमा करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को एक माह के अन्दर प्रवजन प्रमाण-पत्र जमा करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- संस्थागत विद्यार्थी के रुप में केवल उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जायेगा। अनुत्तीर्ण एवं अन्य किसी कारण परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले विद्यार्थी प्रवेश के पात्र नहीं होगें, वे भूतपूर्व छात्र के रुप में सम्मिलित हो सकते है।
- जिन विद्यार्थियों की गतिविधियां अनुशासन मण्डल की दृष्टि में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। प्रवेशार्थी का प्रवेश के समय एन्टी रैगिंग के सन्दर्भ शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (प्रारूप आवेदन पत्र में संलग्न)
- पूर्व परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग करने वाले छात्र/छात्रा को प्रवेश नही दिया जायेगा। प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
- महाविद्यालय किसी अभ्यर्थी को प्रवेश सम्बन्धी कोई सूचना देने के लिए बाध्य नहीं होगा प्रवेशार्थी का यह दायित्व होगा कि वे समय-समय पर महाविद्यालय के सूचना पट्ट से सूचनाएँ प्राप्त करते रहें।
- असत्य तथा अपूर्ण सूचनाएँ देने पर किसी भी छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है यदि त्रुटिवश/गलत तथ्यों के आधार पर विद्यार्थी को प्रवेश दिया गया हो तो ऐसे तथ्यों के प्रकाश में आने पर प्राचार्य/प्रवेशाधिकारी को उसके अनियमित प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- संस्थागत छात्र उपाधि हेतु एक सत्र में अन्य किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और न ही किसी उपाधि हेतु अन्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। यदि कोई छात्र नियम का उल्लघंन कर परीक्षा में सम्मिलित हो जाता है तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
- महाविद्यालय में कला संकाय में स्नातक स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, सैन्य विज्ञान, संस्कृत, एवं गृहविज्ञान विषयों एवं स्नातक विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान गणित, जन्तु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान एवं स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति शास्त्र एवं भूगोल विषयों के शिक्षण की समुचित व्यवस्था है।
- विषय का आबंटन उस विषय में उपलब्ध सीटों के आधार पर होगा।

महाविद्यालय मे विभिन्न विषयों में अनुमन्य सीट :-

पाठ्क्रम	अवधि/सत्र	विषय	अनुमन्य सीट
बी0ए0	03 वर्ष/06 सेमेस्टर	हिन्दी	60
		अंग्रेजी	60
		भूगोल	60
		अर्थशास्त्र	60
		इतिहास	60
		समाजशास्त्र	60
		राजनीति विज्ञान	60
		संस्कृत	40
		सैन्यविज्ञान	40
		गृह विज्ञान	40
एम0 ए0	02 वर्ष/04 सेमेस्टर	भूगोल	40
		राजनीति विज्ञान	40
बी0 एस0 सी0	03 वर्ष /06 सेमेस्टर	वनस्पति विज्ञान	60
		जन्तु विज्ञान	60
		रसायन विज्ञान	60
		गणित	60
		भौतिक	60

पुस्तकालय:-

- महाविद्यालय पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस को प्रात: 10 बजे से सांय 5 बजे तक खुला रहता है। पुस्तक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अपना परिचय-पत्र, पुस्तकालय कार्ड प्रस्तुत करना होगा, इसके बिना पुस्तक निर्गत नहीं की जायेगी। विद्यार्थियों को एक समय कुल तीन ही पुस्तके निर्गत की जायेंगी। पुस्तकों को सुरक्षित रखने का दायित्व विद्यार्थियों का होगा। अन्यथा पुस्तकों का मूल्य जमा करना होगा। समस्त पुस्तकों को परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व वापस करना होगा, अन्यथा विद्यार्थी को प्रवेश-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। विद्यार्थी एक पुस्तक 15 दिन से अधिक अपने पास नहीं रख सकता अन्यथा प्रति-दिन के हिसाब से रु0 1=00 देय होगा।

वाचनालय:-

- महाविद्यालय में छात्रों के समसामायिक ज्ञान को बढ़ाने एवं देश-दुनिया की घटनाओं से जुड़ने हेतु दैनिक समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं एवं रोजगार समाचार पत्रों की भी व्यवस्था है। जिन्हें विद्यार्थी अपना परिचय-पत्र जमा कर वाचनालय में पढ़ सकते है।

महाविद्यालय पत्रिका:-

- महाविद्यालय पत्रिका "मोनाल" का द्वितीय अंक प्रकाशित हो चुका है। छात्र/छात्राओं में रचनात्मक कौशल की अभिवृद्धि हेतु आगामी सत्रों में पत्रिका का नियमित प्रकाशन किया जायेगा।

क्रीड़ा:-

- महाविद्यालय में क्रीड़ा (इन्डोर, आउटडोर) की उपयुक्त व्यवस्था है। छात्र/छात्रायें इनका समुचित लाभ उठा सकते है।

विभागीय परिषदें :-

- प्रत्येक विभाग में एक एक विभागीय परिषद होती है और सम्बन्धित विभाग के समस्त छात्र/छात्रायें परिषद के सदस्य होते है। विभागीय परिषद के तत्त्वावधान में निबन्ध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ, विचार गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पाठ्येत्तर क्रियाकलाप आयोजित किये जाते है।

व्याख्यान:-

छात्रों के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सुयोग्य तथा विद्वत विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किये जाते है।

छात्रवृति:-

महाविद्यालय अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग छात्र-छात्राओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा आवंटित छात्रवृति प्रदान करता है।

महाविद्यालय द्वारा निर्धन छात्र-छात्राओं को भी की प्रोत्साहन राशि महाविद्यालय स्तर पर प्रदान की जाती है

एण्टी रैगिंग :-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खण्ड 26 के उपखण्ड -1-की धारा-G- द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान अयोग ने एतद्द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंगिग को पूर्णरूपेण प्रतिबंधित करते हुए रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 लागू किया है। महाविद्यालय उक्त अधिनियम के संबन्ध में पूर्णतया गंभीर है। महाविद्यालय की परिधि में रैंगिंग के समस्त रूपों को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। महाविद्यालय की परिधि से तात्पर्य विभागों, कक्षाएं, शैक्षणिक, क्रीडा आदि परिसर से है। सरकारी या निजी किसी भी प्रकार के यातायात साधनों में भी रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है।

कौरियर काउंसलिंग:-

- महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धियों एवं प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर उनके कैरियर सम्बन्धी जिज्ञासाओं को पूरा करने हेतु रोजगार परक पाठ्यक्रम की जानकारी प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना:-

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 100 विद्यार्थियों को पंजीकृत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत लगातार दो शिक्षण सत्रों में 240 घंटे नियमित कार्य करना होता है। नियमित कार्यक्रम के अतिरिक्त स्वयंसेवी को कम से कम एक सात दिवसीय विशेष (रात-दिन) शिविर में भाग लेना अनिवार्य है नियमित कार्यक्रम के अर्न्तगत वृक्षारोपण, स्वच्छता जागरूकता, पर्यावरण विकास, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार कल्याण, मद्य निषेध आदि राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में प्रतिभागिता करनी होती है।

महिलाओं के सम्मान हेतु महिला प्रकोष्ठ:-

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदोपरान्त जारी शासन व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जुलाई 2004 में महाविद्यालय में महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया। यह प्रकोष्ठ जिसमें प्रमुख रूप से महिला सदस्य सम्मिलित है, परिसर में महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना का संज्ञान लेता है। प्रकोष्ठ द्वारा महिलाओं/छात्राओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष व्याख्यान भी आयोजित किये जाते हैं। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय द्वारा छात्राओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का पर्यवेक्षण भी करता है।

स्थानान्तरण/चरित्र प्रमाण -पत्र:-

उक्त प्रमाण-पत्रों के लिए विद्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र पर प्राचार्य को प्रार्थना-पत्र देना होगा। स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के लिए रु0 3.00 शुल्क जमा करना होगा। सामान्यत: प्रार्थना-पत्र देने की तिथि के एक सप्ताह बाद ये प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे। चरित्र प्रमाण-पत्र एक शिक्षण सत्र में दो बार ही दिया जायेगा। प्रथम छ: माह में अध्ययनरत् तथा द्वितीय-परीक्षा के पश्चात्।

छात्र संघ:-

छात्रसंघ का गठन लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार किया जायेगा।

अनुशासन मण्डल:-

महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए अनुशासन मण्डल है प्रत्येक छात्र को अपना परिचय-पत्र अनुशासन मण्डल से प्राप्त कर हर समय अपने पास रखना चाहिए। परिचय-पत्र खो जाने की स्थिति में रु0 30.00 महाविद्यालय में जमा कर पुन: दूसरा परिचय-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य अपराध:-

1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना।
2. महाविद्यालय में आये किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्र एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यो में व्यवधान उत्पन्न करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन भंग हो अथवा महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है)।
7. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रमाण-पत्र या, झूठा बयान प्रस्तुत करना।
8. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लघंन करना।
9. महाविद्यालय, कार्यालय, शिक्षण कक्षों पर कुछ लिखना, रंगना, पोस्टर चिपकाना।

विद्यार्थियों के लिए विशेष निर्देश:-

1. समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा निर्गत सूचना के लिए विद्यार्थियों को सूचना पट्ट पर लगी सूचनायें पढ़ने का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
2. विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुए अध्ययनशील रहेंगें और महाविद्यालय की सुचिता एवं गरिमा बनाये रखने तथा उसे बढ़ाने में हर सम्भव सहयोग देंगे।
3. विद्यार्थियों को अपने विभिन्न कार्यो हेतु सम्बन्धित प्रभारी-प्राध्यापकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
4. प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के नियमानुसार कक्षाओं में 75 प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण करनी होगी।
5. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के तुरन्त पश्चात् मुख्य शास्ता से सम्पर्क कर परिचय-पत्र में हस्ताक्षर करवाने होगें। सदैव अपना परिचय-पत्र अपने पास रखना चाहिए ताकि किसी समय आवश्कता पड़ने पर या मांगे जाने पर दिखाया जा सके।
6. किसी भी विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय की सीमा में की गयी हड़ताल को आश्रय देना अनुशासन भंग करने की कार्यवाही माना जायेगा तथा विद्यार्थी महाविद्यालय से स्वत:/निष्कासित हो जायेगा।

शुल्क:- शासन द्वारा स्वीकृत शुल्क तथा विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा शुल्क की दरें निम्नवत हैं,

स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शुल्क का विवरण

1). कोषागार निधि

मंहगाई शुल्क	240.00
प्रवेश/पुन: प्रवेश	03.00
विकास शुल्क	20.00
पुस्तकालय शुल्क	03.00
प्रयोगात्मक शुल्क	240.00
पंखा शुल्क	05.00
शिक्षण शुल्क (स्नातकोत्तर स्तर पर)	180.00

विभिन्न कक्षाओं का शुल्क विवरण

क्रमांक	पद का नाम	बी0ए0 प्रथम वर्ष (बिना प्रयोगात्मक विषय के)	बी0ए0 प्रथम वर्ष (एक प्रयोगात्मक) विषय के साथ	बी0एस0-सी0 प्रथम वर्ष (गणित वर्ग)	बी0एस0-सी0 प्रथम वर्ष (विज्ञान वर्ग)	एम0ए0 प्रथम सेमेस्टर राजनीति शास्त्र	एम0ए0 प्रथम सेमेस्टर भूगोल
1.	कम्प्यूटर इण्टर नेट	70	70	70	70	70	70
2.	जनरेटर	50	50	50	50	50	50
3.	महाविद्यालय विकास निधि	20	20	20	20	20	20
4.	काउन्सलिंग	30	30	30	30	30	30
5.	विविध	100	100	100	100	100	100
6.	क्रीड़ा	360	360	360	360	360	360
7.	वाचनालय	30	30	30	30	30	30
8.	पत्रिका	50	50	50	50	50	50
9.	परिचय पत्र	25	25	25	25	25	25
10.	निर्धन छात्र सहायता	10	10	10	10	10	10
11.	सांस्कृतिक समारोह	50	50	50	50	50	50
12.	कॉलेज दिवस समारोह	20	20	20	20	20	20
13.	छात्र संघ	50	50	50	50	50	50
14.	प्रयोगशाला सामग्री शुल्क	–	60	120	180	–	60
15.	पी0टी0ए0	30	30	30	30	30	30
16.	विद्युत	60	60	60	60	60	60
17.	प्रसाधन	50	50	50	50	50	50
18.	विभागीय परिषद	50	50	50	50	50	50
19.	पार्किंग	30	30	30	30	30	30
20.	प्रायोगिक परीक्षा	–	–	–	–	180	180
21.	परीक्षा/ नामांकन/ उपाधि/पर्यावरण शुल्क वि0वि0 द्वारा परीक्षा आवेदन के साथ जमा किया जायेगा						
22.	योग	1085	1145	1205	1265	1265	1325
23.	कोषागार शुल्क	271	511	751	991	451	691
24.	महायोग	1356	1656	1956	2256	1716	2016

नोटः- शुल्क का पुनः निर्धारण उच्च शिक्षा निदेशालय शासन एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगा।

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य/शिक्षक

1. प्रो0 हितेश कुमार जोशी – प्राचार्य, 9412953910, joshihitesh07@gmail.com
2. डॉ0 विपिन कुमार शर्मा – असि0 प्रो0 (हिन्दी), 9758917725, vipinsharmaanhad82@gmail.com
3. डॉ0 सुनैना रावत – असि0 प्रो0 (अंग्रेजी), 9634443339, drsunainarawatuk@gmail.com
4. डॉ0 सतेन्द्र कुमार पाण्डे – असि0 प्रो0 (राजनीति शास्त्र), 9450305978, dr.skp71@gmail.com
5. डॉ0 भरत सिंह चुफाल – असि0 प्रो0 (सैन्य विज्ञान), 9411180888, bharatsinghchufal@gmail.com
6. कु0 प्रियंका डिमरी – असि0 प्रो0 (वनस्पति विज्ञान), 7895682522, dirmripriyanka88@gmail.com
7. डॉ० मयंक – असि0 प्रो0 (गणित), 9149078773, mayank@gmail.com
8. श्री डी0पी0 औलिया – आसि0 प्रो0 (रसायन विज्ञान), 9410308359, durgapasadoli2812@gmail.com
9. श्री धनेश प्रसाद – असि0 प्रो0 (इतिहास), 9927582482, uniyalprasad246@gmail.com
10. श्री विजय सिंह राणा – असि0 प्रो0 (भौतिक विज्ञान), 7830551331, vijayphy1@gmail.com
11. डॉ0 अमिता विहान – असि0 प्रो0 (समाजशास्त्र), 9639349669, dr.amitabihan@gmail.com
12. श्रीमती अनुजा रावत – असि0 प्रो0 (भूगोल), 8938925351, anujarawat4@gmail.com
13. श्री शुभम उनियाल – असि0 प्रो0 (संस्कृत), 9650268569, shobhi.jnu@gmail.com
14. डॉ0 मयनी चौधरी – असि0 प्रो0 (गृह विज्ञान), 7830551331, mayanichaudhary.gmail.com
15. श्री रवीन्द्र लाल शाह – असि0 प्रो0 (राजनीति शास्त्र), 9997492319, shahravi989@gmail.com
16. श्री अजीत सिंह – असि0 प्रो0 (अर्थशास्त्र), 8755072322, ajeetrana91@gmail.com
17. श्री बलबीर सिंह चौहान – असि0 प्रो0 (राजनीति शास्त्र), 9870776337, balbirchauhan931@gmail.com
18. डॉ0 भरत सिंह – संविदा शिक्षक (भूगोल), 9412140631, drbharatsinghrana@gmail.com
19. डॉ0 अब्दुल वहाब – प्रात:/संध्याकालीन (भूगोल), 9258718669, babdulwahab32@gmail.com
20. डॉ0 मनवीर सिंह कण्डारी – गेस्ट फैकल्टी (जन्तु विज्ञान), 8859807616, manveerkandari@gmail.com

शिक्षणेत्तर कर्मचारी

1. श्री बलबीर सिंह विष्ट – वरिष्ठ सहायक, 8006736567, balveerbisht1970@gmail.com
2. श्री मुकेश चन्द्र रमोला – सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, 9410108346, mukeshchandr255@gmail.com
3. श्रीमती सुमनलता – प्रयोगशाला स0, (वन0 वि0), 9760526738,sumanlata21051981@gmail.com
4. श्रीमती चम्पा देवी – प्रयोगशाला सहायक, (ग्रह वि0), 9456718228,
5. श्री प्रदीप सिंह – संविदा कनि0 सहा0, 9997978937, pardeeprawatgdclambgaon@gmail.com
6. श्री बृजमोहन सिंह – संविदा पुस्तकालय लिपिक, 7895341369, brijmohansingh49@gmail.com
7. श्री लोकेन्द्र सिंह – संविदा अनुसेवक, 9690201438, lokeshsavita2013@gmail.com
8. श्री सोबन सिंह – संविदा अनुसेवक, 8121526436, sobanr753@gmail.com
9. श्रीमती मधु देवी – संविदा अनुसेविका, 9895435525, madhudevi6768@gmail.com
10. श्री मकान सिंह – संविदा अनुसेवक, 8938834801, makansingh0131989@gmail.com
11. श्री गोवर्धन पटेल – सफाईकर्मी/रात्रि चौकीदार, 9557648541, boverdhanpatel2305@gmail.com